फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर,(SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री प्रतापसिंह बनाम विपक्षी : श्री रघुवीर सिंह

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 89/21

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक : 04.11.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस की गई। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं जिसमें बताया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी और विपक्षीगण के नाम संयुक्त रूप से राजस्व रेकर्ड में अंकित हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि पर प्रार्थी व विपक्षीगण संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त कर रहें। विपक्षी द्वारा प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि में दखलअंदाजी करने, उपयोग उपभोग में बाधा पेदा करने व जबरन कब्जा करने पर उतारू होने से विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपनी बहस में बताया कि विपक्षी प्रार्थनाग्रस्त भूमि के खातेदार हैं। विपक्षीगण द्वारा किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं की जा रही हैं जिससे प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि के प्रार्थी व विपक्षीगण दोनों खातेदार हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि में विपक्षीगण द्वारा दखलअंदाजी किये जाने का कथन कहा हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में संयुक्त रूप से प्रार्थी व विपक्षीगण के नाम दर्ज हैं जिससे प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकरान के पक्ष में निर्णित किये जाने से सुविधा संतुलन व अपूरणनीय क्षति के बिन्दु भी उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किये जातें हैं। उपरोक्त तीनों बिन्दु उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किये जानें से प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्षकारान को पावन्द किया जाना उचित प्रतित होता है जिससे किसी प्रकार के मौके व रेकर्ड के परिवर्तन से बचा जा सकें। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा गोपालपुरा पटवार हल्का चारगदिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. जमाबंदी संवत् 2050–53 की खाता संख्या नया 35 की आराजी नम्बर 143, 145 मी. किता 1 रकबा 3 बिघा 5 बिस्वा भूमि में भू–प्रबन्धन के बाद बने नये नम्बरान के आधार पर उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:59:26 IST
Reason: SelfAttested